भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1166
उत्तर देने की तारीख : 16.12.2013

मुस्लिमों के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक मानक

1166. श्री श्यामल चक्रवर्ती :

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के हाल ही के सर्वेक्षण प्रतिवेदन और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सेर्वक्षण संगठन का हाल ही का प्रतिवेदन यह दर्शाता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक विभिन्न सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक क्षेत्र में अन्य समुदायों की तुलना में पिछड़ रहे हैं

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की कया प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग)

(क) भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर श्री राकेश बसंत द्वारा "एजुकेशन एंड एम्प्लाएमेंट एमंग मुस्लिम्स इन इंडियाः एन एनालिसिज ऑफ पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स" पर वर्किंग पेपर सीरीज है। वर्किंग पेपर सीरीज में व्यक्त विचार (रो), दृष्टिकोण (णों) तथा निष्कर्ष (षों) लेखकों के हैं और न कि आईआईएम अहमदाबाद के। लेखक ने अपने वर्किंग पेपर में अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित पर टिप्पणी की हैः–

(i) शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिमों की भागीदारी सापेक्ष रूप में कम है किंतु हाल के वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति विशेषकर मुस्लिम पुरूषों के लिए खराब है;

(ii) उच्च शिक्षा में मुस्लिमों की भागीदारी विशेष रूप से खराब है किंतु एक बार उनके स्कूली शिक्षा के दहलीज के पार हो जाने पर और अन्य कारक जो उच्च शिक्षा में भागीदारी को प्रभावित करते हैं, उससे मुस्लिमों की विशेष रूप से गिरावट दिखती है;

(iii) शिक्षा में मुस्लिमों की भागीदारी निर्धारित करने में स्थान के साथ घरेलू बंदोबस्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुझाव देने के लिए कुछ साक्ष्य हैं कि यह समुदाय शिक्षा के महत्व को पूरी तरह नहीं समझता है, जबकि शिक्षा के प्रतिलाभ उच्च हैं।

(iv) मुस्लिम प्रमुख रूप में स्वरोजगार में लगे हुए हैं और नियमित कर्मकार के रूप में विशेषकर टेरीटेरी क्षेत्र (जो हाल के वर्षों में उभरा है) में अन्य सामाजिक–धार्मिक समुदायों की तुलना में शहरी क्षेत्रों मे कम है।

भारत (2009–10) में प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रोजगार और बेरोजगारी स्थिति पर उनकी रिपोर्ट के अनुसार, अन्यों के साथ–साथ, निम्नानुसार पाया गया है:–

(i) वर्ष 2009–10 में, मुस्लिमों की औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) अखिल भारत औसत एमपीसीई 1128/– रु0 की तुलना में 980/– रु0 थी।

(ii) 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले मुस्लिमों में ग्रामीण पुरूषों, ग्रामीण महिलाओं, शहरी पुरूषों तथा शहरी महिलाओं की साक्षरता दरे क्रमशः 69%, 47%, 81% तथा 65% थी।

(iii) शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार में नियोजित कार्मिकों के अनुपात में मुस्लिमों की संख्या सर्वाधिक थी। प्रमुख धार्मिक समूहों में मुस्लिमों में नियमित रोजगार शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में निम्नतम था।

(iv) मुस्लिमों की बेरोजगारी दर में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों दोनों में वर्ष 2004–05 की तुलना में 2009–10 में गिरावट आयी है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नतम थी। शहरी क्षेत्रों में ईसाईयों की बेरोजगारी दर निम्नतम थी, इसके पश्चात मुस्लमों की थी।

(ख) एवं (ग) : सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जो अल्पसंख्यकों हेतु लक्ष्यों/परिव्ययों के 15% का निर्धारण करते हुए अथवा अल्पसंख्यकों अथवा पर्याप्त अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों को लाभों/निधियों के प्रवाह की विशिष्ट मॉनीटरिंग करते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं/पहल प्रयासों को कवर करने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, के माध्यम से देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। यह कार्यक्रम अल्पसंख्यकों की शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने, आर्थिक क्रियाकलापों एवं रोजगार में अल्पसंख्यकों हेतु निष्पक्ष हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, अल्पसंख्यकों की जीवन स्थितियों में सुधार करने तथा साम्प्रदायिक तथा साम्प्रदायिक असामंजस्य की रोकथाम और उसे नियंत्रित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:–

(i) शिक्षा : अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक सशक्तिकरण हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कक्षा 1 से पीएच0डी0 के छात्रों को कवर करते हुए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर तथा मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं नामक तीन छात्रवृत्ति योजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय एम.फिल और पीएच.डी विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति कार्यान्वित कर रहा है। सरकार द्वारा दी गई संचित निधि के आधार पर निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना, आरंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों और मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदायों के लाभों के लिए कार्यान्वित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधान विकास मंत्रालय द्वारा

कार्यान्वित सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय और महिला छात्रावास खोलकर शैक्षिक अवर्सरचना का निर्माण किया गया है।

(ii) कौशल विकास : अल्पसंख्यकों की रोजगार क्षमता और आर्थिक सशक्तिकरण को बेहतर करने के लिए उनके कौशल विकास हेतु विभिन्न पहलें की गई हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यकों के कौशल विकास हेतु 'सीखो और कमाओ' योजना, सरकार द्वारा निर्मुक्त इक्विटी शेयर पूंजी की मदद से ऋण विस्तार हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) की योजनाएं और एनएमडीएफसी की राज्य चैनेलाईजिंग ऐजेंसियों को सहायता अनुदान की योजना कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का उन्नयन उत्कृष्टता के केंद्रों में किया गया है।

(iii) क्षेत्र विकास : अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक अवर्सरचना का सृजन करने और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भी अल्पसंख्यक बहुल जनसंख्या वाले शहरों एवं नगरों को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के विभिन्न संघटकों नामतः, शहरी अवर्सरचना और शासन (यूआईजी), छोटे एवं मध्यम शहरों हेतु शहरी अवर्सरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी), एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) और शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाएं (बीएसयूपी) को शहरों एवं नगरों के लिए निधियों के प्रवाह को सुगम बना रहे हैं।

(iv) ऋण की सुलभता : वित्त मंत्रालय की प्राथमिक क्षेत्र ऋण योजना और एनएमडीएफसी की सूक्ष्म–ऋण एवं सावधि ऋण योजना के अंतर्गत ऋण और सावधि ऋण अल्पसंख्यकों को उनके आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोग देने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

*****